बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०— पि०व०/4/वि०यो०—22—10/2025— 1089 पटना, दिनांक— 4/9/25

संकल्प

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 से केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन एवं योजनान्तर्गत राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति की कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रु0 2,31,67,00,000/—(रु0 दो सौ इकतीस करोड़ सरसठ लाख) मात्र की स्वीकृति, योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने, केन्द्र प्रायोजित योजना से अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना—2023 से आच्छादित किये जाने एवं उक्त हद तक विभागीय संकल्प सं0—673, दिनांक—23.03.2023 के संशोधन की स्वीकृति।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—22 से PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBC & Others नाम से एक Umbrella Scheme शुरू की गयी है, जिसके तहत् Post-Matric Scholarship for OBC, EBC and DNT Students योजना भी सम्मिलित है।

2. PM Yasasvi योजना के पूर्व में संचालित केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति प्रवेशिकोत्तर योजना के तहत पूर्ण शिक्षण शुल्क का प्रावधान था, जबकि केन्द्र प्रायोजित PM Yasasvi योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार अधिकतम शिक्षण शुल्क राशि मात्र रु0 10,000/—(रु0 दस हजार) मात्र का प्रावधान किया गया।

3. वित्तीय वर्ष 2021—22 तक केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा था, जिसके तहत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर (NIT के लिए रू0—70000, IIT के लिए रू0—90000, अन्य केन्द्रीय संस्थानों के लिए रू0—75000 वार्षिक अधिकतम) पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय संकल्प सं0—673, दिनांक—23.03.2023 के द्वारा राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना—2023'' के संचालन एवं दिशा—निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने तथा विभागीय संकल्प संख्या—1385, दिनांक—25.08.2021 द्वारा स्वीकृत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'' को वित्तीय वर्ष 2022—23 से विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5. केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के संचालन का प्रस्ताव विचाराधीन था।

6. अतः सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025—26 से केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन एवं योजनान्तर्गत राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग

के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति की कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रु0 2,31,67,00,000/–(रु0 दो सौ इकतीस करोड़ सरसठ लाख) मात्र की स्वीकृति, योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने, केन्द्र प्रायोजित योजना से अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023 से आच्छादित किये जाने एवं उक्त हद तक विभागीय संकल्प सं0–673, दिनांक–23.03.2023 के संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. PM-YASASVI अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित छात्रवृत्ति दर पर ही भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों के अधीन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

8. PM-YASASVI अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023 अंतर्गत पात्रता के आलोक में आच्छादित किया जायेगा।

9. योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

10. बजट शीर्ष–

राज्य स्कीम माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–0215– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी0एम0 यशस्वी) विषयशीर्ष– 3401–छात्रवृत्ति/वजीफाविपत्र कोड–11– 2225032770215 के तहत केन्द्रांश की राशि एवं राज्य स्कीम माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष– 0315–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी0एम0 यशस्वी) विषयशीर्ष– 3401–छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड–11– 2225032770315 के तहत् राज्यांश की राशि

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक–02.09.2025** में **मद संख्या–10** के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

12. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

04/09/25

(एच0 आर0 श्रीनिवास)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–10/2025– 1089 पटना, दिनांक– 4/9/25

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/09/25

प्रधान सचिव।

D/Puja sinha2024/sankalp (m)

ज्ञापांक– पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–10 / 2025– 1089 पटना, दिनांक– 4/9/25
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/09/25
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–10 / 2025– 1089 पटना, दिनांक– 4/9/25
प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/09/25
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–10 / 2025– 1089 पटना, दिनांक– 4/9/25
प्रतिलिपि– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद के बैठक के मद संख्या–10 दिनांक–02.09.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/09/25
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–10 / 2025– 1089 पटना, दिनांक– 4/9/25
प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

04/09/25
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–10 / 2025– 1089 पटना, दिनांक– 4/9/25
प्रतिलिपि– सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/09/25
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–10 / 2025– 1089 पटना, दिनांक– 4/9/25
प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/09/25
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–10 / 2025– 1089 पटना, दिनांक– 4/9/25
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

04/09/25
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–10 / 2025– 1089 पटना, दिनांक– 4/9/25
प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04/09/25
प्रधान सचिव।